

19<sup>12</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। -मात्रात्मक समय में कई बार आवान लगाने जाने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली प्रकम पैरवी, अकम राजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुभारंभ होकर बाद तबतीब, तकमील दाखिल दफ्तार में।

सहायक कलेक्टर  
बीकानेर शहर

